

Anandra Kumar Trivedi
Partime Law Teacher

Subject: Evidence
श्री 111/12

साक्ष्य अधिनियम सन् 1872 के
उक्त कथन किन्ती प्रत्यक्षी को (कीटानि) सामान्य
होसिये को देना है। जो कि साक्ष्यी को अपने
लिखे हस्त-लेख है। (अदालत के) नये
होती दस्तावेज जो सामान्य के हस्त-लेख
की लिखी प्रत्यक्षी को देना है। 214-215
दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है।

अदालत के प्रत्यक्षी को देना है। साक्ष्य को
अदालत को हस्त-लेख तब तक को देना है।

किन्ती को लिखी तब तक को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

किन्ती को लिखे साक्ष्य को लिखे साक्ष्य

सुसंगत तथ्य (Relevancy and Admissibility terms)

सुसंगत - एक तथ्य उसी तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस कल्पना के उपकरणों से निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस उचित तथ्य से सम्बन्धित हो।

विकल्पक तथ्य से अभिप्रेत है कि किसी तथ्य के लिए प्रमाण से सम्बन्धित किसी तथ्य पर प्रमाण के उपकरणों के आधार पर अभिप्रेत करना है जब तक कि विकल्पक तथ्य की उत्पत्ति जिस तथ्य का प्रमाण किया जाता है। वह विकल्पक तथ्य है।

वृद्धांत - जैसे कि जो तथ्य की दृष्टि की। इसमें सम्बन्धित वाली बात यह है कि कभी कभी की दृष्टि कि प्रमाणित प्रतिक्रिया या कोई दोष का प्रमाण आदि।

जहाँ भी का विवाद है कि तथ्य उचित हो कि नहीं। जैसे कि अज्ञात साक्ष्य रहते हैं। उनी वीर प्रति की सुदृढ़ 280 दिव की कमी- की मात्रा है। एक विद्यु की गन्त विद्या। जहाँ विद्या उक्त अत का अर्थ कहेगी कि वि. की कि विद्यु. की गन्त विद्या वह ही से सम्बन्धित आ उपलब्ध उक्त है। उस प्रक को कल्पित है सो कल्पित विद्या का यत्न है कि प्रमाण सिद्धि पा सेवतां

पृष्ठ 2

माम

Mohammed

5 (1) 15

पेज नं: 3

माना जाता है, जब कि मौलिक दायित्व कवर
होगा तब वह कर्मचारी उस उद्योग का
प्रतिनिधि है जो कारखाने या उद्योग में
लाए जाते हैं। यदि कोई कारखाने कि मालिक
उस उद्योग को देना है वह उसे गौण साक्ष्य
माना जाएगा जो उसी मान्यता रहेगा।
अधिकतर 25 के अन्तर्गत प्रमिसरी की कोर्
संकीर्ण होती है तो उसे प्रायः 26 के अन्तर्गत
उत्तरी मान्यता नहीं होती है। जबकि
किसी प्रमिसरी के दर से भी होती हो सकती है।
वही साक्ष्य अधिकतर के कारखाने कि
वही उसे सही माना जाएगा।